(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

उर्वरक कारखाना, मिर्जापुर

5770. **श्री वंश नारायण सिंह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिर्जापुर और विंध्याचल के बीच स्थापित किये जाने वाले उर्वरक कारखाने को अब किसी अन्य स्थान पर स्थापित करने का प्रस्ताव हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हीरों का तस्कर व्यापार

5771. **श्री एस० एम० जोशी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हीरों के तस्कर व्यापर के अभियोग में श्री सुरेश मेहता तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध बम्बई उच्च न्यायालय में 1962 का मुकदमा संख्या 623/डब्ल्यू दायर किया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि श्री मफ्तलाल मोहनलाल नामक व्यक्ति के विरुद्ध जिस पर तस्कर व्यापार के आरोप लगाये गये थे, मुकदमा नहीं दायर किया गया था क्योंकि वह विदेश में था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि बम्बई उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ने 3 नवम्बर, 1966 को अपना निर्णय देते समय टिप्पणी की थी कि इस षड़यंत्र में मुख्य अपराधी श्री मफ्तलाल मोहनलाल है, उस पर भारत वापस आने पर मुकदमा चलाया जाये ; और

(घ) यदि हां, तो श्री मफ्तलाल मोहनलाल को वापस भारत बुलाने और उन पर मुकदमा चलाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख). श्री सुरेश वी. मेहता तथा श्री मफ्तलाल मोहनलाल मेहता को शामिल करके अन्य चार व्यक्तियों के खिलाफ मुख्य प्रसीडेन्सी मजिस्ट्रेट, बम्बई की अदालत में फौजदारी शिकायत दायर की गई है जिसकी मिसल का नम्बर 1962 का 623/डबल्यू है। श्री मफ्तलाल मोहनलाल मेहता के विरुद्ध मामले को शेष अभियुक्तों के मामलों से बाद में इसलिये अलग कर दिया गया कि वह बिदेश में रहता था।

(ग) बम्बई उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ने 2 नवम्बर, 1966 को सुनाये गये अपने फैसले में अन्य बातों के साथ यह भी उल्लेख किया है कि इस साजिश का सर्वोपरि षड़यंत्रकारी श्री मफ्तलाल मोहनलाल है। किन्तु उक्त निर्णय में माननीय न्यायाधीश ने ऐसा कोई अभिमत व्यक्त नहीं किया है कि श्री मफ्तलाल मोहनलाल मेहता के भारत लौटने पर उस पर मुकदमा चलाया जाय।

(घ) श्री मफ्तलाल मोहनलाल मेहता को ऐंट्वर्प से, जहां वह रह रहा है, भारत वापस लाने की पहले कोशिश की गई थी, जिससे उसे इस्तगासे के सामने खड़ा किया जा सके, परन्तु ये प्रयत्न सफल नहीं हुआ। जब कभी वह पकड़ा जा सकेगा उसके खिलाफ़ मुकदमें की आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।